कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in
संख्या-172/2023 दिनांक-24-05-2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दि0 -22.05.23 को करीब 17.05 बजे को वादी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त 1.बजरंगी निषाद पुत्र विपति उर्फ विपत निषाद सा0 कोलहटा कमाल हुंसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती शारिरिक सम्बन्ध बनाना व किसी से बताने पर जान माल की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 158/23 धारा 376AB/506 IPC व 5M/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त 1.बजरंगी निषाद पुत्र विपति उर्फ विपत निषाद सा0 कोलहटा कमाल हुंसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी की विवरण:-

थानाध्यक्ष महाराजगंज मय हमराह को मुखबीर से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.बजरंगी निषाद पुत्र विपति उर्फ विपत निषाद सा0 कोलहटा कमाल हुंसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ हुंसेपुर तिराहा के पास कहीं जाने की फिराक में साधन के इंतजार में खड़ा है, यदि जल्दी किया जाय तो मिल जायेगा । इस सूचना पर विश्वास कर SO मय हमराह मय मुखबिर के हुंसेपुर तिराहे के पास पहुँचे, कुछ दुर खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबिर खास मौके से हट बढ़ गया । मौके पर ख़ड़े व्यक्ति के पास पहुँच कर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने नाम 1.बजरंगी निषाद पुत्र विपति उर्फ विपत निषाद सा0 कोलहटा कमाल हुंसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष बताया,

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 158/23 धारा 376AB/506 IPC व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 158/23 धारा 376AB/506 IPC व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 145/08 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.बजरंगी निषाद पुत्र विपति उर्फ विपत निषाद सा0 कोलहटा कमाल हुंसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा

का0 रविकान्त

का0 शनि अहमद

थाना- मेंहनगर

मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादी दासू यादव पुत्र स्व0 दिप्पन यादव सा0 पिलखुआ थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ की तहरीरी सूचना दिनांक 22-05-023 समय करीब 7.30 बजे सुबह वादी अपने पुराने दीवाल पर करकट डाल रहा था इसी दौरान जान मारने की नियत से प्रार्थी के पट्टीदार राजेश यादव पुत्र नारायनण यादव, इन्द्रदेव यादव पुत्र नारायण यादव, नीरज यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव ,हिमांशु यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव हाथ में लाठी डंण्डा लिए हुए प्रार्थी व उसके परिवार के केदार यादव पुत्र दिप्पन यादव, जयहिन्द यादव पुत्र केदार यादव, विजय यादव पुत्र दासू यादव, अजय पुत्र दासू यादव, बृजेश यादव पुत्र दासू यादव, जोगिन्दर यादव पुत्र हरिलाल यादव को भद्दी-भद्दी गली गुप्ता देते हुए मारने-पीटने गले जिससे प्रार्थी व उक्त परिवार जन के सिर में गम्भीर चोट आयी है तथा मौके पर जय हिन्द यादव पुत्र केदार यादव बेहोश अवस्था में है जिसका इलाज सी0एस0सी0 मेंहनगर में हो रहा है शोर गुल सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गये तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 200/23 धारा 323/504/506/308/307 भादवि बनाम 1.राजेश यादव पुत्र नारायण यादव, 2.इन्द्रदेव यादव पुत्र नारायण यादव, 3.नीरज यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव, 4. हिमांशु यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासीगण पिलखुवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण

आज दिनांक 24.05.2023 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 200/23 धारा 323/504/506/308/307 भादवि में वांछित अभियुक्त 1.नीरज यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव सा0 पिलखुआ थाना मेहनगर आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 2.हिमान्शु यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव सा0 पिलखुआ थाना मेहनगर आजमगढ उम्र 21 वर्ष जिसे को अभियुक्तगण के घर बहद ग्राम पिलखुआ थाना मेंहनगर से समय 08.45 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 200/23 धारा 323/504/506/308/307 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 200/23 धारा 323/504/506/308/307 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.नीरज यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव सा0 पिलखुआ थाना मेहनगर आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 2.हिमान्शु यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव सा0 पिलखुआ थाना मेहनगर आजमगढ उम्र 21 वर्ष

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त लाठी डण्डा 03 दिनांक 22.05.23 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह

हे0का0 विरेन्द्र कुशवाहा

हे0 का0 रघुविन्द सिह

थाना- मेंहनगर

नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादिनी मुकदमा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ने सूचना दिया कि आज दिनांक 17/05/23 को वादिनी की लडकी जिसकी उम्र 17 वर्ष जो नाबालिक है को दिलशेख पुत्र अकलाख निवासी बसीला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ बहला फुसला कर भगा ले गया काफी खोजने पर नही मिली के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 189/23 धारा 363/366 भादवि दर्ज कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण:-

आज दिनांक 24.05.2023 को उ0नि0 रामअवध यादव मय हमराह के वांछित अभियुक्त अभि0 दिलशेख पुत्र एकलाख सा0 बसिला थाना मेहनगर आजमगढ को अक्षैबर पुलिया कस्बा मेंहनगर से समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 189/23 धारा 363/366 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 189/23 धारा 363/366 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

दिलशेख पुत्र एकलाख सा0 बसिला थाना मेहनगर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रामअवध यादव मय हमराह

का0 उमेश सिह

थाना निजामाबाद

अवैध गाजा बिक्री करने वाली महिला अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 24.05.23 को उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह म0का0 शालू यादव व म0का0 संन्ध्या सिंह के साथ नेवादा बाजार मे मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक महिला ग्राम रामपुर अबुसईद मे अवैध गांजा की बिक्री कर रही है। मुखबिर खास की सूचना पर रामपुर अबूसईद से अभियुक्ता निर्मला पत्नी स्व0 प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को उसके घर के द्वार से हिरासत मे लिया गया जिसकी तलाशी म0का0 शालू यादव व म0का0 संन्ध्या सिंह द्वारा लिया गया तो अभियुक्ता के पास से एक झोले में 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 234/23 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. निर्मला पत्नी स्व0 प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 116/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

2.मु0अ0स0 367/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. का0 अजय जायसवाल थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. का0 सत्यम सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़ 4. का0 सौरभ कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़

5. म0का0 शालू यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़ 6. म0का0 संन्ध्या सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़

साइबर क्राइम

दिनांक 19.05.2023 को थाना सिथारी जनपद आजमगढ़ स्थित प्रार्थिनी रीता सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह (व्यापारी आजमगढ़) दवारा साइबर क्राइम सेल पुलिस लाईन आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात लड़की का फोन आया कि मैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ । आपका कार्ड एक्टीव करना है । जिसके बाद मोबाइल पर लिंक भेजकर Any Desk App डाउनलोड कराया गया जिसके बाद मोबाइल हैक करके बैंक खाते से कुल 1,90,000.00/- रू धोखाधड़ी करके निकाल लिया गया । घटना घटित होने के तुरंत बाद साईबर सेल पुलिस लाईन आजमगढ़ में शिकायत दर्ज कराया गया । घटने की जांच साइबर क्राइम सेल आजमगढ़ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/ नोडल अधिकारी साइबर अपराध के निर्देशन में की गयी, जांच के दौरान सम्बन्धित बैंक का ट्रान्जेक्शन व संलग्न दस्तावेज की जानकारी की गई जिसके बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल द्वारा फ्राड में प्रयुक्त सभी बेनिफीशीयरी खाते को तत्काल फ्रीज करा दिया गया जिससे फ्राड की गयी धनराषि को होल्ड करा दिया गया । इसके पश्चात् 48 घंटे के अन्दर फ्राड की गयी पूरी धनराषि 1,90,000.00/- को वापस पीड़िता के बैंक खाते में जमा करा दिया गया । आगामी समय में पीड़िता के परिवार में शादी समारोह होना है । इसी दौरान बैंक खाते से अराजकतत्वों द्वारा पैसे कि निकासी के होने से जीवकोपार्जन अस्त व्यस्त हो गया । पीड़िता अपना पैसा पाकर साइबर क्राइम क्राइम सेल की टीम मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार भारती, आरक्षी सत्येन्द्र यादव और आरक्षी राहुल सिंह को आशीर्वाद दिया और पुलिस कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया।

प्रेस नोट

थाना निजामाबाद

सौहर्द बिगाडने वाले 16 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

दिनांक 14.05.2016 को उपद्रवी तत्वों द्वारा ग्राम खुदादादपुर हरिजन बस्ती के घरो में घुसकर समानों को नष्ट कर आग लगा दिया गया एवं भय एवं आतंक पैदा करने उद्देश्य से सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस टीम पर हमला किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया।

उपरोक्त घटना के सम्बंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0 88/16 धारा 147,148,149,151,152,307,452,436,323,504,506,427,342,283,332,333,336,338,353, भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम फिरोज पुत्र तौफिक आदि 22 नफर निवासीगण खुदादादपुर थाना निजामाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 24.05.2023 को उ0नि0 धनन्जय प्रसाद शुक्ला मय हमराह द्वारा 16 अभियुक्त समस्त निवासी खुदादादपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को खुदादादपुर बाजार सें समय करीब 15.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा कुछ लोग भीड़ का फायदा उठाकर भाग गये। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

तथा गिरफ्तार अभियुक्तो को चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 88/16 धारा 147,148, 149,151,152,307,452,436,323,504,506,427,342,283,332,333,336,338,353, भादवि व 7 सीएलए एक्ट - थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.मो0 दानिश पुत्र जोरार

2. पप्पू उर्फ परवेज पुत्र एखलाख अहमद

3. जमशेद अहमद पुत्र एखलाख अहमद

4. अरशद पुत्र कुद्दुस

5. नोमान पुत्र लड्डन उर्फ खालिद

6. मो0 सलीम पुत्र युनूस

7. अमजद पुत्र बदरुद्दीन

8. वकार पुत्र सहदुल्ला

9. अबू तालिब पुत्र इलियास अहमद

10. जिशान पुत्र फैजान।

11. अनवार पुत्र कमरुद्दीन

12. फिरोज पुत्र तौफिक।

13. अरशत पुत्र मुशीर

14. अरशद पुत्र अफजल उर्फ नखड़ू

15. जोरार अहमद पुत्र मारुफ

16. बसी पुत्र रजी अहमद निवासी खुदादादपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 धनजय प्रसाद शुक्ला थाना निजामाबाद, आमजगढ

2. हे0का0 अजीत यादव थाना निजामाबाद,आजमगढ़

3. हे0का0 अरविन्द यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. हे0का0 संन्तोष यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. का0 विक्रम मौर्या थाना निजामाबाद आजमगढ़

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना बिलरियागंज और रौनापार का किया गया वार्षिक निरीक्षण</u>

आज दिनांक- 24.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना बिलरियागंज और रौनापार का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये –

➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सर्वप्रथम पहुंचकर गार्द की सलामी ली गयी।

<u>निरीक्षण थाना बिलरियागंज:-</u>

➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।

➡थाना परिसर की साफ-सफाई ठीक मिली।

➡निरोधात्मक कार्यवाही में विगत वर्ष की तुलना में प्रगति मिली।

➡वसूली वारंट के अभियुक्तो की गिरफ्तारी न करने के कारण उप निरीक्षक मिथलेश कुमार को निलम्बित व उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की प्रारम्भिक जांच हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

➡गुमशुदगी रजिस्टर अपडेट न करने के कारण सम्बन्धित आरक्षी मुन्शी को अर्दली रुम हेतु निर्देशित किया गया।

➡ मु0 आरक्षी मो0 सकिल व आरक्षी अनिल कुमार द्वारा 12 बोर पम्प एक्श गन को सिखलाये हुये तरिके से खोलने व जोडने के लिये पुरस्कार दिया गया।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) से वार्ता कर वेतन व अन्य समस्याओ के सम्बन्ध में जानकारी की गयी।

<u>निरीक्षण थाना रौनापार:-</u>

➡सलामी गार्द के उच्च कोटि के टर्न आउट हेतु पुरस्कार दिया गया।

➡थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया।

➡उप निरीक्षक उमाशंकर द्वारा ग्लाक पिस्टल को सिखलाये गये तरिके से खोलने जोड़ने हेतु पुरस्कार दिया गया।

➡उप निरीक्षक उमा शंकर, हेड मोहर्रिर राजेन्द्र प्रसाद व मु0 आरक्षी दीपक कुमार को वार्षिक निरीक्षण के निमित रजिस्टर को अपडेट करने व साफ सफाई में विशेष रुचि लेने के सम्बन्ध में पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

➡पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) से वार्ता कर वेतन व अन्य समस्याओ के सम्बन्ध में जानकारी की गयी।